भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

नई दिल्ली
NEW DELHI

लोक नायक भवन, (पांचवी मंजिल)
Lok Nayak Bhavan, (Fifth Floor)
खान मार्किट,
Khan Market,
नई दिल्ली - 110 003
New Delhi - 110 003

नं० No.81/71/04-NCM
No. .....

दिनांक 17.9.2007
Dated .....

To,

Sh. S.K. Mishra,
Assistant Director,
Ministry of Minority Affairs,
11th Floor, Paryavaran Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003.

Sir,

I am directed to refer letter dated 30.8.2007 received from Shri Sanjay Kumar Jain through his advocate Shri Ravi Prakash Gupta regarding declaring Jain religion as religious minority in the light of Division Bench ~~Chairman~~ judgment of the Apex Court dated 21.8.2006 for necessary action at your end.

Yours faithfully,

(P. Sharma)
Legal Officer

Copy to : Shri Sanjay Kumar Jain, Diksha Kunj, 9./1976, Lane No.4, Kailash Nagar, New Delhi-31

No. 20011/3/2012-Coord.-II
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
.....

New Delhi, the , 2012

04 DEC 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Public Grievance petition.

*****

The undersigned is directed to forward herewith, in original, a representation dated 23.09.2012 received from Shri Sunjay K. Jain, Delhi.

2. It is requested that appropriate action may be taken in the matter and a suitable reply may please be sent to the petitioner, under intimation to this Ministry.

Encl : a/a

(J.P. Sharma)
Section officer

To

M/o Minority Affairs
[Shri E.R. Solomon, JS]
R.No.1114, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, New Delhi

Copy to:-

Shri Sunjay K. Jain, Natioanl President
Vishwa Jain Sanagathan
IX/1983(Opp. JainTemple), Lane No.3
Kailash Nagar, Delhi-110031

(J.P. Sharma)
Section officer

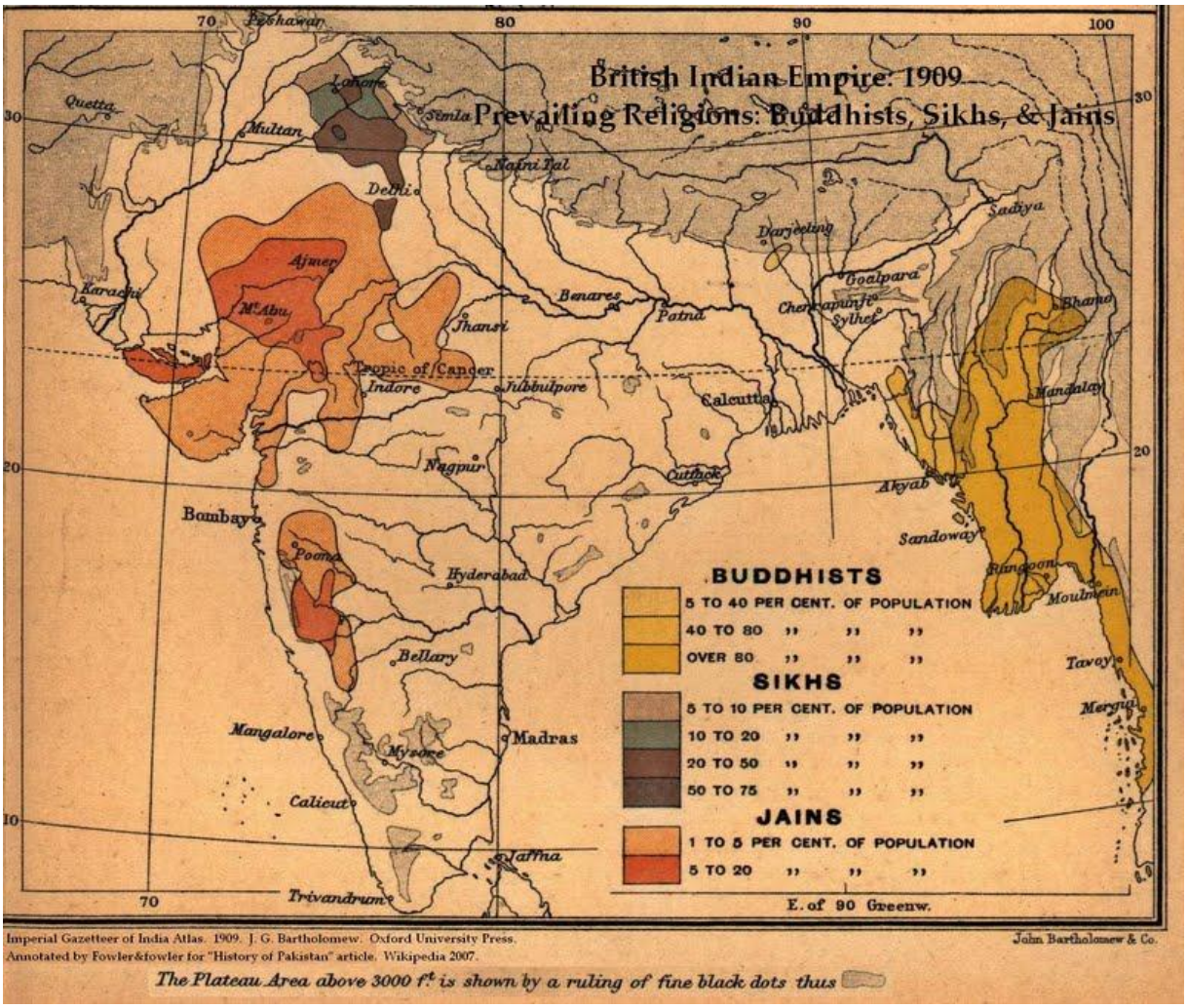

Imperial Gazetteer of India Atlas. 1909. J. G. Bartholomew. Oxford University Press.
Annotated by Fowler&fowler for "History of Pakistan" article. Wikipedia 2007.

John Bartholomew & Co.

The Plateau Area above 3000 ft. is shown by a ruling of fine black dots thus

हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है जैन:सुप्रीम कोर्ट

अनूप भटनागर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है और इस समुदाय को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उनके संचालन का अधिकार है।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति दलबीर भण्डारी की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जैन समुदाय के कन्या जूनियर हाई स्कूल के एक शिक्षक की सेवायें समाप्त करने से सम्बंधित मामले में यह व्यवस्था दी। न्यायालय ने संविधान निर्माताओं द्वारा जैन समाज को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दिये जाने और इसके प्रमाण संविद सभा की कार्यवाही में मौजूद होने का अपने फैसले में जिक्र किया। फैसले के अनुसार

एटा के स्कूल शिक्षक की सेवाएं खत्म करने से जुड़े मामले में दी व्यवस्था

चूंकि उ.प्र. सरकार ने एक समय यह स्वीकार किया था कि जैन समुदाय, जो राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय है, ने यह स्कूल स्थापित किया है, इसलिए अब उप्र बेसिक शिक्षा परिषद भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक धर्म विशेष के सदस्य द्वारा संस्था के संचालन मात्र से उसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्था नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि राज्य के जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही अल्पसंख्यक स्तर का निर्धारण किया जाता है। जैन शिक्षण संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के सम्बंध में हाई कोर्ट की व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुये एकल न्यायाधीश के हस्तक्षेप को अनुचित करार दिया। हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने कहा था कि संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त होने के कारण इसे किसी शिक्षक की सेवायें समाप्त करने से पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन एकल न्यायाधीश ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुये अप्रैल, 2003 में अपने फैसले में कहा था कि स्कूल के अल्पसंख्यक दर्ज के सवाल पर विचार ही नहीं किया गया। खण्डपीठ ने विभिन्न फैसलों को उद्धृत करते हुये कहा कि यह अविवादित तथ्य है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है।

हिन्दुस्तान 24.8.06

जय सीमन्धर   श्रमण संघ जयवंत हो   जय महावीर

।। जय आत्म ।। ।। जय आनन्द ।। ।। जय देवेन्द्र ।। ।। जय ज्ञान ।। ।। जय शिव ।।

आचार्य शिवमुनि

संदेश

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सुरक्षा तहत अल्पसंख्यकों की भाषा, सभ्यता, धार्मिक रीति-रिवाजों की रक्षा व उनके अधिकारों के हनन को रोकना शामिल है। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए समझौतों के पालन हेतु, उक्त क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हमारे संविधान के तहत भी जैन समाज को धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा प्रदान करने में ढुल-मुल की नीति अपनाई जा रही है।

यह गहन चिंता का विषय है कि शान्तिप्रिय, राष्ट्रभक्त एवं उद्यमी जैन धर्मावलम्बियों को उनके अधिकार, भारत सरकार द्वारा नहीं दिए जा रहे, जो कि सरकार समानता के अधिकारों की रक्षा करने की वचनबद्धता को नकारते हैं। हर धर्म, सभ्यता, वर्ग व उनके पूजा स्थानों, अधिकारों व सुरक्षा को सुनिश्चित करना लोकतंत्र व धर्म निरपेक्ष सरकारों का प्रथम कर्तव्य है। इसके अभाव में आंदोलित होना स्वाभाविक है।

विश्व जैन संगठन के युवा व कर्मठ अध्यक्ष श्री संजय जैन व अन्य पदाधिकारी जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर उनके अल्पसंख्यक होने के नाते, उनके मौलिक अधिकारों को दिलवाने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। मैं उनके अहिंसक व अनथक प्रयासों हेतु, उनके सफलता की मंगल कामना करता हूं और समस्त जैन समाज को प्रेरणा देता हूं कि सरकार को जगाने हेतु, इनके प्रयासों को, तन, मन, धन से सहयोग देवें।

शिवमुनि

आचार्य शिव मुनि

दिनांक - 02.09.2012

स्थान - सिविल लाईन, लुधियाना पंजाब

Website : www.jainacharya.org, www.shivacharyaji.org,
E-mail : shivacharyaji@yahoo.co.in,
Facebook : http://www.facebook.com/shivmuni, 9317707230

सबका मंगल हो

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने से लाभ

जैन समाज अपने आप में पूर्ण एवं सम्पन्न है। जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा अपने धर्म को संरक्षण प्राप्त करने हेतू चाहिए। प्राचीन काल के कई धार्मिक ग्रन्थों से भी यह ज्ञात होता है कि जैन धर्म सबसे पुरातन धर्म है। किसी जमाने में तो केवल जैन धर्म ही था। जैन धर्म के कठोर नियमों के कारण ही प्राचीन समय से जैन धर्मी इस धर्म से अलग होते चले गए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किये जाने के बाद हमें कुछ प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी जिससे अहिंसा के अनुयायी इस समुदाय को अपने धर्म के अस्तित्व एवं धर्मस्थलों को सम्मानपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक बनाए रखने की संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

1. जैन धर्म की सुरक्षा होगी।
2. जैन धर्म की नैतिक शिक्षा पढ़ाई कराने का जैन स्कूलों को अधिकार।
3. जैन कॉलिजों में जैन बच्चों के लिए 50% आरक्षित सीटें होगी।
4. कम ब्याज पर लोन, व्यवसाय व तकनीकी शिक्षा हेतु उपलब्ध होंगे।
5. जैन समुदाय के अल्पसंख्यक घोषित होने से संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार जैन समुदाय धर्म, भाषा, संस्कृति की रक्षा संविधान में उपबंधों के अर्न्तगत हो सकेगी।
6. जैन धर्मावलम्बियों के धार्मिक स्थल, संस्थाओं, मन्दिरों, तीर्थ क्षेत्रों एवं ट्रस्टों का सरकारीकरण या अधिग्रहण आदि नहीं किया जा सकेगा अपितु धार्मिक स्थलों का समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध शासन द्वारा भी किए जाएंगे।
7. उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1919 (42 ऑफ - 18.9.1991) के तहत किसी धार्मिक उपासना स्थल के स्वरूप को बनाए रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जिसका उल्लंघन धारा 6 (3) के आधीन दंडनीय अपराध है।
8. पुरातन स्थलों एवं पुरातन धरोहरों को सुरक्षित रखना सन् 1958 के अधिनियम की धारा 19 एवं 20 के तहत संविधान द्वारा सुरक्षित है।
9. समुदाय द्वारा संचालित ट्रस्टों की सम्पत्ति को किराया नियन्त्रण अधिनियम से भी मुक्त रखा जायेगा, जिससे किरायेदार से सम्पत्ति को आसानी से खाली करवाया जा सकता है।
10. जैन धर्मावलम्बी अपनी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व एवं धर्मायतनों का संरक्षण कर सकेंगे।
11. जो प्रतिभावान अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं तो उनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को 9वीं, 10वीं, 12वीं का शिक्षण शुल्क एवं अन्य लिया जाने वाला शुल्क पूर्णतः माफ कर दिया जायेगा।
12. जैन मन्दिरों, तीर्थ स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि के प्रबन्ध की जिम्मेदारी समुदाय के हाथ में ही रहेगी।
13. शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जायेगा।
14. विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कोचिंग कॉलेजों में समुदाय के विद्यार्थियों को फीस कम या माफ होने की पात्रता होगी।
15. सरकार द्वारा जैन समुदाय को स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, शोध या प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु सभी सुविधायें एवं रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवायी जायेंगी।
16. जैन समुदाय के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु अनुदान मिल सकेगा।
17. जैन समुदाय द्वारा संचालित जिन संस्थाओं पर कानून की आड़ में बहुसंख्यकों ने कब्जा जमा रखा है, उनसे मुक्ति मिलेगी।
18. जैन धर्मावलम्बी को बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रताडित किए जाने की स्थिति में सरकार जैन धर्मावलम्बी की रक्षा करेगी।
19. जैन धर्मावलम्बी द्वारा पुण्यार्थ, प्राणी-सेवार्थ, शिक्षा इत्यादि हेतु दान-धन कर से मुक्त होगा।
20. अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के समुचित विकास एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध शासन द्वारा किए जायेंगे।
21. अल्पसंख्यक वर्ग युवाओं में खेलकूद व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतु अनुदान एवं छात्रवृतियों में विशेष प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा, ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके।
22. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कराए गए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार मूलक योजनाओं का लाभ मिलेगा।